

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 7603/2020

मों. इरफान सिद्दीकी

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, गृह एवं एक अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – व्यक्तिगत रूप से, अंजुम आरा, देवेश देव भट्ट, शम्भू प्रसाद

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिका की पुकार की गई।
2. याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है।
3. यह रिट याचिका वर्ष 2020 में निम्नलिखित मुख्य अनुतोष का अनुरोध करते हुए दायर की गई थी:

1. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारों को समस्त राज्य के सभी पुलिस थानों में दर्ज प्रत्येक आरोप पत्र को राज्य पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट up police.gov पर अपलोड करने का आदेश दिया जाए। संबंधित पुलिस और क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिया जाए कि जांच पूर्ण होने के पश्चात यथाशीघ्र, और अधिमानतः चौबीस घंटे के भीतर, आरोपपत्र की प्रमाणित प्रति अभियुक्त/उसके प्रतिनिधि/पैरोकार/एजेंट और अधिवक्ता को तत्परतापूर्वक एवं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिमानत: आवेदन प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

4. राज्य अधिकारियों द्वारा प्रतिशपथपत्र दाखिल किया गया है, जिस पर हमारे आदेश दिनांक 17 दिसंबर, 2025 के बावजूद कोई प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है।
5. राज्य ने सारत: यह कहा है कि न तो विधि के अनुसार विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के पश्चात तैयार किए गए आरोपपत्र को संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है, और न ही ऐसा करना तर्कसंगत है, क्योंकि इससे न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप के समान होगा, जहां आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है या किया जाना है।
6. वास्तव में, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा दुबे ने हमारे समक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय (2023) 11 एससीसी 154 (सौरव दास बनाम भारत संघ और अन्य) प्रस्तुत किया है। इस वाद में इसी प्रकार की प्रार्थना की गई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2016) 9 एससीसी 473 (यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ और अन्य) में स्थापित तर्क के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के अंतर्गत दायर आरोपपत्र और अंतिम रिपोर्टों तक जनता की निःशुल्क पहुँच को सक्षम बनाने का अनुरोध किया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।
7. सौरव दास बनाम भारत संघ और अन्य (उपरोक्त) मामले के पैरा 12 से 17 का उद्धरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

12. धारा 173(5) दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, जब किसी मामले के संबंध में कोई रिपोर्ट भेजी जाती है जिस पर धारा 170 दंड प्रक्रिया संहिता लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को भेजे गए दस्तावेजों के अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा विश्वास किए जाने वाले सभी दस्तावेजों या उनके प्रासंगिक अंशों को रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

13. अतः धारा 173 और धारा 207 के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि जांच एजेंसी को अभियोजन पक्ष द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों सहित रिपोर्ट की प्रतियां मात्र अभियुक्त को ही उपलब्ध करानी चाहिए, किसी अन्य को नहीं। इसलिए, यदि इस याचिका में माँगा गया अनुतोष स्वीकार कर लिया जाता है और सभी आरोपपत्र और उनके साथ प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक दस्तावेजों को सार्वजनिक परिक्षेत्र में या राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर प्रस्तुत किया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जाता है, तो यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत होगा और इससे अभियुक्त, पीड़ित और/या यहां तक कि अन्वेषण एजेंसी के अधिकारों का भी उल्लंघन हो सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को वेबसाइट पर प्रस्तुत करना, आरोपपत्र और प्रासंगिक दस्तावेजों को सार्वजनिक परिक्षेत्र में और राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर प्रस्तुत करने के समान नहीं है।

14. अब साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 और 76 पर आधारित निर्भरता का संबंध है, और यह निर्भरता भी पूर्णतः गलत और अनुचित है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में उल्लिखित दस्तावेज ही सार्वजनिक दस्तावेज माने जा सकते हैं, जिनकी प्रमाणित प्रतियां संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए, जिसके पास ऐसे सार्वजनिक दस्तावेज की अभिरक्षा है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आरोपपत्र की प्रति साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अनुसार सार्वजनिक दस्तावेजों की परिभाषा में सार्वजनिक दस्तावेज नहीं मानी जा सकती। साक्ष्य अधिनियम की धारा 75 के अनुसार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में उल्लिखित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य सभी दस्तावेज निजी दस्तावेज हैं। अतः, आरोपपत्र/आरोपपत्र के साथ के दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत सार्वजनिक दस्तावेज नहीं माने जा सकते, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 और 76 का आश्रय लेना पूर्णतः अनुचित है।

15. अब जहां तक सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 पर निर्भरता का संबंध है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार नियमित अंतराल पर विभिन्न संचार माध्यमों से जनता को स्वतः ही यथासंभव सूचना उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करे। आरोपपत्र की प्रतियां और आरोपपत्र के साथ संबंधित दस्तावेज सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन परिस्थितियों में भी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(2) पर निर्भरता भ्रामक और अनुचित है।

16. उपरोक्त के दृष्टिगत और उपरोक्त कारणों से, याचिकाकर्ता इस याचिका में मांगे गए अनुतोष अर्थात् सभी राज्यों को धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर सभी आरोपपत्रों/चालानों की प्रतियां अपनी वेबसाइटों पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिए जाने से संबंधित अनुतोष प्रदान किये

जाने का अधिकारी नहीं है।

17. इस रिट याचिका में योग्यता का अभाव है और यह खारिज किये जाने योग्य है, और तदनुसार

इसे खारिज किया जाता है।

8. उपरोक्त के अनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।

5 जनवरी, 2026

एमवीएस

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)